HFCL GROUP

HFCL Limited
8, Commercial Complex, Masjid Moth, Greater Kailash - II,
New Delhi - 110048, India
Tel : (+91 11) 3520 9400, 3520 9500 Fax : (+91 11) 3520 9525
Web : www.hfcl.com
Email : secretarial@hfcl.com

HFCL/SEC/26-27
September 03, 2026

BSE Ltd. 1st Floor, New Trading Wing, Rotunda Building Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort Mumbai – 400001 corp.relations@bseindia.com **Security Code No.: 500183**	**National Stock Exchange of India Ltd.** Exchange Plaza, 5th Floor, C – 1, Block G Bandra – Kurla Complex, Bandra (E) Mumbai – 400051 cmlist@nse.co.in **Security Code No.: HFCL**

RE: **Regulation 30 and 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations") read with the General Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs.**

Subject: **Public Notice by way of Advertisement in Newspapers.**

Dear Sir(s)/ Madam,

With reference to the above mentioned subject, we hereby submit copies of the Public Notice, published by way of advertisement in newspapers on September 03, 2026, in connection with the ensuing 39th Annual General Meeting of the Company scheduled to be held on September 29, 2026, in the following newspapers:

1. The Indian Express (All Editions) – English (copy of Delhi Publication attached)
2. Jansatta (Delhi) – Hindi (copy attached)

You are requested to take the above information on records.

Thanking you,

Yours faithfully,
For HFCL Limited
MANOJ BAID Digitally signed by MANOJ BAID Date: 2026.09.03 19:04:30 +05'30'
(Manoj Baid)
President & Company Secretary

Encl.: As above

MOSPI STANDS BY 7.8% GDP GROWTH RATE FOR Q1

Govt rejects GDP criticism, expects 'informed debate' once methods understood

Siddharth Upasani
New Delhi, September 2

WITH QUESTIONS being raised about the higher-than-expected GDP growth rate of 7.8% in the April-June quarter, the statistics ministry on Wednesday issued a six-point rebuttal, asserting that its methods and the numbers released on Monday were correct.

Saurabh Garg, Secretary in the Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI), added that he expects a "more informed debate" to happen once the new methods used to calculate India's GDP are understood.

On Monday, MoSPI data showed India's GDP grew 7.8% in April-June, significantly higher than the Reserve Bank of India's forecast of 7%. Revisions were also made to past data, including to the growth rate for January-March, which was raised from 7.8% to 8.6%.

These revisions were caused by the use of the new Producer Price Index (PPI) series, the updated Index of Industrial Production (IIP) data series, and the Banking Services Price Index released earlier this year.

However, certain economists, former bureaucrats, and politicians have raised questions about the numbers.

While some economists have unconvinced by the figure used to "deflate" the manufacturing sector's gross value added (GVA) in current prices to arrive at the "real", or inflation adjusted estimates, former finance secretary Subhash Chandra Garg has criticised the data, saying nominal GDP growth in April-June should be 2.6% and "in real terms close to 0".

• 'INCORRECT INTERPRETATION'

FORMER FINANCE secretary Subhash Chandra Garg claimed that April-June 2025's nominal GDP was revised down from Rs 86 lakh crore to Rs 80 lakh crore to make growth in April-June 2026 "look better"

IN ITS response, the ministry pointed out that the Rs 86.05 lakh crore figure was under the old GDP series which had 2011-12 as the base year

THE NEW series, which has 2022-23 as the base year, was released in February this year and saw the inclusion of new sources of data and several methodological changes in the calculation of the GDP, including those that economists and international agencies such as the IMF have been calling out for several years

Double deflation

Speaking to reporters on Wednesday, MoSPI Secretary Saurabh Garg said that the double deflation practice is "new for everyone".

"But I am sure as people get used to the double deflation methodology, as they understand it better, there will be a more informed debate," Garg said.

To find the value added by a sector — or the Gross Value Added (GVA) — the value of inputs it uses is subtracted from the value of output it produces. This is GVA in current prices, or nominal terms.

To find the GVA after accounting for changes in prices — or real GVA — the output and input values are adjusted by their respective inflation rates. This is called double deflation.

Prior to the new GDP series, which has 2022-23 as the base year, that was released earlier this year in February, one of the biggest criticisms of Indian data was MoSPI used double deflation only for agriculture and mining and quarrying sectors.

For the others, input and output values were "deflated" by the same number, with the Wholesale Price Index and Consumer Price Index being used.

This can be problematic when input and output prices change at different rates.

With the new GDP series using the double-deflation method for all sectors, there have been revisions to past estimates of GDP and growth. These revisions have also been accentuated by the use of the new Producer Price Index numbers for inputs and outputs, which is used internationally.

According to MoSPI's Garg, the PPI has more than 300 deflators for different parts of the GDP to compute real values from nominal ones, up from around 180 under the old series. This makes the new series' estimates more accurate.

No 'deliberate downward revision'

Without naming Subhash Chandra Garg, MoSPI released "additional information" on the GDP data, specifically refuting the former bureaucrat's claim that growth was much lower than 7.8% in April-June.

It argued that the downward revision in the April-June 2025 nominal GDP from Rs 86.05 lakh crore in the old series to Rs 80.00 lakh crore in the new series was the result of "successive revisions to the GDP series arising from the change in base year, incorporation of improved data sources and methodologies, and updation of available indicators".

As such, it is "incorrect to interpret the difference as a deliberate downward revision of last year's GDP to mechanically increase the current year's growth rate". It added that one cannot compare GDP numbers from different series to arrive at the growth rate, as Garg had done.

FULL REPORT ON WWW.INDIANEXPRESS.COM

STAKEHOLDER CONSULTATION BY NITI AAYOG

Private players seek 'green energy' status for N-power to raise funds

Pratyush Deep
New Delhi, September 2

PRIVATE PLAYERS are seeking green energy status for nuclear power to enable access to green bonds, green loans and blended financing for nuclear projects.

During a recent stakeholder consultation by NITI Aayog, they sought review of existing green finance frameworks, including the Ministry of Finance's Sovereign Green Bond Framework, the RBI's framework for acceptance of green deposits and SEBI's framework for green debt securities.

"Currently for example Ministry of Finance sovereign green bond framework does not include the nuclear energy and there was a suggestion from many of the industry participants to review these frameworks.....whether it is the Ministry of Finance sovereign green energy bond framework or RBI's framework for acceptance of green deposits or even SEBI's green debt securities framework.

"So I think there is a need for review of these frameworks to allow access to green bonds and green loans and blended financing schemes," Abhay Karandikar, member NITI Aayog said during the inaugural session of POWERGEN India's Nuclear X event.

"The world over ... I think even including the World Bank and the Asian Development Bank are reviewing these restrictions on the nuclear investments and similar things perhaps I think may be needed," he added.

During the consultation, the private players also suggested that nuclear power projects be accorded infrastructure status, he said, while adding that in NITI Aayog's view nuclear power is already covered under the infrastructure framework, as the Harmonised Master List of Infrastructure Sub-sectors maintained by the Department of Economic Affairs includes electricity generation. "Perhaps a clarification in this regard may be needed," he added.

Around 150 participants from 60 organisations took part in the NITI Aayog's consultation. India opened the tightly regulated civil nuclear sector last year for private participation and targets 100 gigawatt-electric (GWe) nuclear power by 2047. Nivruti Rai, MD and CEO of Invest India, said India will require at least $228 billion in investment to achieve the target 100 GWe nuclear energy capacity.

Final SHANTI rules to be ready in 2-3 months

Speaking at the event, Ghanshyam Prasad, Chairperson of the Central Electricity Authority (CEA), said the final rules under the SHANTI Act are likely to be ready in the next two to three months, with stakeholder consultations on the draft rules currently underway.

He also stressed the need to reduce the gestation period of nuclear power projects in India. Prasad said site selection would be another major challenge as India scales up its nuclear capacity. "A lot of efforts are supposed to be made in identification of sites. We are all working with the states. Teams are there, site selection committees are there," he said. On nuclear fuel, Prasad stressed the need to develop thorium-based technologies to strengthen India's long-term energy security.

FULL REPORT ON WWW.INDIANEXPRESS.COM

India can emerge as trusted mfg, supply chain hub: Maruti Suzuki CEO

Press Trust of India
New Delhi, September 2

THERE IS a significant opportunity for India to emerge as a trusted manufacturing and supply chain hub in the global automotive ecosystem, as cost is no longer the sole priority as reliability and operational continuity are now just as vital, Maruti Suzuki India MD and CEO Hisashi Takeuchi said on Wednesday.

In a bid to truly strengthen the industry's competitiveness, products made in India must be able to compete with the best in the world and "require quality to become our signature," Takeuchi said, while addressing the annual session of Automotive Component Manufacturers Association of India (ACMA).

"The last decade taught us how to withstand disruption. The next decade must help us become stronger because of disruption," he said. To move in that direction, Takeuchi said there are four important enablers for the Indian automotive industry — deep localisation, people, collective learning, and technology.

At $127 bn, FCNR(B) deposits push RBI's forex drive beyond $136 bn

George Mathew
Mumbai, September 2

FAR EXCEEDING the expectations of bankers and policymakers, the Reserve Bank of India's special US dollar-rupee forex swap facility has drawn provisional foreign exchange inflows of $136.377 billion through August 31.

The surge in inflows have come through Foreign Currency Non-Resident (Bank), or FCNR(B), deposits, Overseas Foreign Currency Borrowings (OFCBs) and External Commercial Borrowings (ECBs), according to data reported by authorised dealer banks.

FCNR(B) deposits accounted for the overwhelming share of the mobilisation at $127.226 billion. OFCBs contributed $5.260 billion, while ECBs brought in $3.891 billion, the RBI said. The figures are provisional and subject to final reporting, accounting and reconciliation.

Analysts and bankers had expected inflows of $70-$80 billion when the scheme was introduced, and the large scale of the inflows marks a substantial response to the concessional swap facility introduced by the RBI on June 8. The facility was designed to encourage fresh foreign-currency inflows and support domestic liquidity at a time when the rupee and India's foreign-exchange reserves were under pressure amid global uncertainties, trade tensions and West Asia conflict.

The RBI had initially opened the FCNR(B) swap window until September 30.

However, following what it described as an "encouraging response", it announced on August 14 that the window for fresh FCNR(B) deposits would close early on August 31. The swap of deposits already mobilised under the facility could, however, be undertaken with the RBI until September 11.

The concessional facilities for ECBs and OFCBs remain open until December 31, 2026.

The latest numbers indicate how sharply mobilisation accelerated during August.

FCNR(B) deposits are fixed-term deposits that can be maintained by non-resident Indians, Overseas Citizens of India and Persons of Indian Origin in designated foreign currencies.

Unlike ordinary rupee deposits, these deposits allow overseas Indians to retain their savings in currencies such as the US dollar, pound sterling, euro, Japanese yen, Australian dollar and Canadian dollar. Interest earned on FCNR(B) deposits is exempt from income tax in India as long as the depositor qualifies as a non-resident under Indian tax laws.

FULL REPORT ON WWW.INDIANEXPRESS.COM

GIFT City IFSC banks sanction $54 bn under RBI swap facility

Mumbai/New Delhi: Indian banks operating through International Banking Units (IBUs) at GIFT City's International Financial Services Centre (IFSC) have sanctioned loans totalling $54.02 billion under the RBI's swap facility for FCNR(B) deposits as of August 31, according to a status report. The lending under the RBI scheme has risen sharply in a matter of weeks, reflecting growing utilisation of the financial services ecosystem and institutional infrastructure available at GIFT IFSC. The data shows that IBUs had sanctioned $4.1 billion through 14 IBUs as of July 15. **ENS**

Chandra opposes 5-member NCLT bench formation

New Delhi: Essel Group Chairman Subhash Chandra on Wednesday opposed the formation of a five-member bench by the NCLT to decide his personal insolvency case, contending that the tribunal does not have the power to constitute such a bench.

Appearing for Chandra before the NCLAT, Senior Advocate Sasmit Patra termed the NCLT order "faulty and wrong" and said, "they are not empowered" to form a five-member bench. "Under which power" it was stayed and "when did this five-member bench sit together? What proceedings were conducted that led to this five-member bench taking only one order?" Patra argued. **PTI**

Gor calls for friction-less trade between India & US

ENS Economic Bureau
New Delhi, September 2

US AMBASSADOR to India Sergio Gor on Wednesday said that as both countries work through the details of their trade relationship, they should aim to create an environment where American suppliers and technology can freely access the Indian market and Indian firms can compete fairly in the US market.

Addressing the Automotive Component Manufacturers Association of India (ACMA) at its 66th annual session, he said, "Our two governments are working closely together to build a trade relationship that is fair, reciprocal, and mutually beneficial."

He said Commerce and Industry Minister Piyush Goyal will travel to the US at the end of this month for the G-20 Trade Ministers' meeting to continue engaging in negotiations on the trade agreement.

India and the US agreed to the framework of the interim trade agreement that would then expand to the Bilateral Trade Agreement (BTA) in February. Since then talks have been ongoing to finalise the agreement.

Both sides have held three rounds of in-person talks on the deal. The first round was held in Washington in April and two were held in June.

In the last meeting at the end of June, US Trade Representative (USTR) Jamieson Greer visited New Delhi to push the negotiations. **FE**

Japan agency upgrades India's rating to 'A-'; FinMin says reflects solid growth

Aanchal Magazine
New Delhi, September 2

NOTING STEADY implementation of policies for productivity growth and economic development and India's maintenance of 7% growth, the Japan Credit Rating Agency (JCRA) upgraded India's sovereign rating from 'BBB+' to 'A-' with stable outlook on Wednesday.

Welcoming the decision by JCRA, the Ministry of Finance in a statement said the upgrade reflects India's "solid economic growth, effectiveness of economic policies in strengthening the foundations for growth, and the improved soundness of the financial system".

While upgrading the rating, the JCRA noted certain structural challenges for India on the fiscal front: complex intergovernmental fiscal relations; fiscal transfer arrangements and fiscal management that is susceptible to electoral cycles.

Pointing out that the Indian economy has maintained a high growth rate of around 7%, the JCRA said the country's growth is supported by robust private consumption and public investment.

The growth momentum was sustained in Q1 of FY27, with real GDP growing by 7.8%, despite prevailing global headwinds, the Ministry said.

"Considering India's solid economic growth, the effectiveness of economic policies that strengthen the foundations for growth, and the improved soundness of the financial system, JCR has upgraded the Republic of India's Foreign Currency and Local Currency Long-term Currency Issuer Ratings by one notch to 'A-'. JCR has also raised the country ceiling by one notch to 'A'," the JCRA said.

Fifteenth Finance Commission Chairman NK Singh said the 'A' rating is back after a gap of over 35 years.

"JCRA has upgraded India to 'A-'. Recognition of India's growth momentum, macro stability, deep structural reforms, and the strength of Centre-State partnership. The last 'A' was Moody's A2 rating given in 1988, which India lost in the 1990-91 BoP crisis," he said.

FULL REPORT ON WWW.INDIANEXPRESS.COM

• MARKETS

Sensex	NIFTY	Gold ▼	US Dollar ▲
76,570.35	23,914.45	₹1,51,184	₹94.98
-373.93	-141.35	Silver ▼	Oil ▼
-0.49%	-0.59%	₹2,28,396	$70.18

NOTE: GOLD, SILVER RATES AS PER INDIA BULLION AND JEWELLERS ASSOCIATION GOLD PER 10G, SILVER PER 1 KG; CRUDE OIL (INDIAN BASKET) AS OF SEPTEMBER 1, 2026

आर्चीज लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः प्लॉट नं. 191एफ, सेक्टर-4, आईएमटी मानेसर, गुरुग्राम, हरियाणा-122050
सीआईएनः L36999HR1990PLC041175, वेबसाइटः www.archiesonline.com एवं www.archiesinvestors.in
ईमेलः archies@archiesonline.com, दूरभाषः +91 124 4966666

36वीं वार्षिक आम बैठक, बुक क्लोजर एवं ई-वोटिंग जानकारी की सूचना

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि आर्चीज लिमिटेड (सीआईएन **L36999HR1990PLC041175**) के सदस्यों की 36वीं (छत्तीसवीं) वार्षिक आम बैठक ('एजीएम'), 36वीं एजीएम की सूचना में उल्लिखित साधारण एवं विशेष कार्यों के निपटान हेतु गुरुवार, 24 सितंबर 2026 को 11:30 बजे पूर्वा. पर वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी, तथा एजीएम के प्रयोजन हेतु कंपनी की सदस्यों की रजिस्टर एवं शेयर हस्तांतरण पुस्तिकाएँ शुक्रवार, 18 सितंबर 2026 से गुरुवार, 24 सितंबर 2026 तक (दोनों दिन सम्मिलित) बंद रहेंगी।

वार्षिक रिपोर्ट एवं एजीएम की सूचना, साथ ही कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अंतर्गत व्याख्यात्मक विवरण तथा मतदान (जिसमें रिमोट ई-वोटिंग भी शामिल है) से संबंधित विस्तृत निर्देश और जानकारी, उन सभी सदस्यों को भेज दी गई है जिन्होंने इसकी भौतिक प्रतियां अपने पंजीकृत पते पर प्राप्त करने का अनुरोध किया था, तथा अन्य सभी सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी गई है।

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण 02 सितंबर, 2026 को पूरा कर लिया है। वर्ष 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट, एजीएम की सूचना सहित, कंपनी की वेबसाइट **www.archiesinvestors.in** पर उपलब्ध है। रिमोट ई-वोटिंग से संबंधित संचार ऊपर उल्लिखित अनुसार सदस्यों को ईमेल/प्रेषित कर दिया गया है।

कंपनियों अधिनियम, 2013 की धारा 108, कंपनियों (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 तथा सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 44, यथासंशोधित के अनुसरण में, कंपनी अपने उन सदस्यों को, जिनके पास भौतिक रूप में या डीमैटरियलाइजेशन रूप में शेयर हैं, कट-ऑफ तिथि अर्थात 17 सितंबर 2026 तक, 36वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना में निर्धारित अनुसार, बैठक स्थल ("रिमोट ई-वोटिंग") के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान करती है, कंपनी ने ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए लिंक इंटाइम इंडिया प्रा. लि. (**https://instavote.linkintime.co.in**) की सेवाएँ ली हैं।

सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है किः

1. कंपनी की 36वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना में निर्धारित साधारण एवं विशेष कार्यों का निपटान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान द्वारा किया जाएगा।
2. रिमोट ई-वोटिंग सोमवार, 21 सितंबर, 2026 (9.00 बजे पूर्वा. भा.मा.स.) से प्रारंभ होगी और बुधवार, 23 सितंबर, 2026 (5.00 बजे अप. भा.मा.स.) को समाप्त होगी। तत्पश्चात, ई-वोटिंग मॉड्यूल निष्क्रिय कर दिया जाएगा;
3. रिमोट ई-वोटिंग द्वारा या एजीएम में ई-वोटिंग द्वारा मतदान करने की पात्रता निर्धारित करने हेतु कट-ऑफ तिथि 17 सितंबर, 2026 है;
4. जिस व्यक्ति का नाम कट-ऑफ तिथि के अनुसार सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरीज के पास रखे गए लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, वह रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम के दौरान मतदान की सुविधा का लाभ उठाने के अधिकारी होंगे;
5. जो व्यक्ति एजीएम की सूचना के प्रेषण के बाद कंपनी का सदस्य बनता है और कट-ऑफ तिथि के अनुसार शेयर धारित करता है, वह ईमेल **enotices@in.mpms.mufg.com** पर अनुरोध भेजकर यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।
6. बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान की सुविधा एजीएम में भी उपलब्ध होगी तथा बैठक में उपस्थित वे सदस्य, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना मत पहले ही नहीं डाला है, बैठक में अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। जिन सदस्यों ने एजीएम से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना मत पहले ही डाल दिया है, वे एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं, परंतु उन्हें पुनः मतदान करने का अधिकार नहीं होगा;
7. एजीएम में उपस्थित होने और मतदान करने का अधिकार रखने वाला सदस्य, अपने स्थान पर मतदान करने के लिए किसी प्रॉक्सी को नियुक्त करने का अधिकारी है, और प्रॉक्सी का कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। प्रॉक्सी, प्रभावी होने के लिए, हस्ताक्षरित एवं मुहरांकित होना चाहिए तथा बैठक आरंभ होने के निर्धारित समय से कम से कम 48 घंटे पूर्व कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिए।
8. कंपनी ने श्री शैलेश दयाल, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी (एफसीएस सं. 4897 एवं सीपी सं. 7142), प्रोप्राइटर, मेसर्स दयाल एंड मौर, कंपनी सेक्रेटरीज को मतदान प्रक्रिया की निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके और प्रासंगिक कानूनों के तहत जांच करने हेतु स्क्रूटिनाइजर नियुक्त किया है
9. प्रस्तावों पर परिणाम कंपनी की बैठक के समापन के 48 घंटे के भीतर, उससे अधिक विलंब किए बिना, घोषित किए जाएंगे। घोषित परिणाम, स्क्रूटिनाइजर की रिपोर्ट के साथ, कंपनी की वेबसाइट **www.archiesinvestors.in** तथा सेवा प्रदाता की वेबसाइट **https://instavote.linkintime.co.in** पर उपलब्ध कराए जाएंगे और इन्हें बैठक के समापन के 48 घंटे के भीतर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा बीएसई लिमिटेड को भी सूचित किया जाएगा।

किसी भी प्रश्न हेतु आप **https://instavote.linkintime.co.in** पर उपलब्ध सदस्यों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) तथा ई-वोटिंग यूजर मैनुअल, हेल्प सेक्शन के अंतर्गत देख सकते हैं अथवा **enotices@in.mpms.mufg.com** पर ईमेल लिख सकते हैं अथवा हमें कॉल कर सकते हैं :- दूरभाष : 022 - 49186000.

भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य, जिन्होंने अपने ईमेल पते कंपनी के साथ पंजीकृत नहीं कराए हैं, वे फोलियो संख्या और शेयरधारक का नाम उल्लेखित अनुरोध-पत्र की स्कैन की हुई प्रति, पैन और आधार की स्वप्रमाणित प्रति ईमेल द्वारा कंपनी को **cs@archiesonline.com** पर भेजकर एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट 2025-26 प्राप्त कर सकते हैं।

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते आर्चीज लिमिटेड
हस्ता./-
(चिरंजीवी रामुका)
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

स्थानः दिल्ली
दिनांकः 02.09.2026

HARYANA LEATHER CHEMICALS LTD.

CIN: L74999HR1985PLC019905
Regd. Off: 72-77, HSIIDC Industrial Estate, Hansi Road, Jind-126102 (Haryana)
Tel: +91-01681-226645,
E-mail : info@leatherchem.com, Website: www.leatherchem.com

NOTICE OF 41st ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the 41st Annual General Meeting ("AGM") of the members of Haryana Leather Chemicals Limited ("the company") will be held on **Saturday, 26th September 2026** at **01:00 P.M.** through Video Conference/Other Audio Visual Means ("VC"/ "OAVM") in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder ("the Act") and Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, ("Listing Regulations") read with applicable circulars issued by Ministry of Corporate Affairs and Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), to transact the ordinary and special businesses, as set out in the notice calling the AGM.

Notice of AGM: The notice together with the Annual Report for the financial year 2025-26 has been sent in electronic mode to members whose e-mail id's are registered with the company/ Registrar & Share Transfer Agent ("RTA")/ depositories and in compliance with Regulation 36(1)(b) of Listing Regulations a letter comprising the weblink, the exact path for accessing the Annual Report for the financial year 2025-26 and QR Code thereof, has been sent to those members who have not registered their e-mail id's with company/RTA or depositories as the case may be, has been dispatched, on **Wednesday, 02nd September 2026**. Further, hard copies of notice along with Annual Report are being sent to those members who have requested for the same.

The notice of the AGM together with the Annual Report are also available on the website of the company at https://www.leatherchem.com/investors, websites of the Stock Exchange i.e., BSE Limited, and on the website of National Securities Depository Limited ('NSDL') respectively viz., www.bseindia.com, and www.evoting.nsdl.com.

Book closure period: Pursuant to Section 91 of the Act, notice is also hereby given that the Register of Members and Share Transfer Books of the company will remain closed from **Sunday, 20th September 2026** to **Saturday, 26th September 2026** (both days inclusive) for the purpose of AGM.

Voting: Pursuant to Regulation 44 of the Listing Regulations read with Section 108 of the Act and the relevant rules made thereunder, the company is availing the services of NSDL to facilitate the members to exercise their right to vote by remote e-voting and e-voting at AGM. The detailed process for participation in the remote e-voting and e-voting at AGM, are available in the notice of the meeting. The members of the company holding shares in either physical or dematerialized form as on **Saturday, 19th September 2026**, being the cut-off date, may cast their vote electronically by remote e-voting/ e-voting at the AGM, as the case may be. The company is also providing the facility of voting through e-voting system during the AGM for those who would not cast their vote during remote e-voting period.

The remote e-voting period will commence on **Wednesday, 23rd September 2026** at 10.00 a.m. and ends on **Friday, 25th September 2026** at 5.00 p.m. The results of voting would be declared as stipulated under the relevant rules, Listing Regulations and will also be posted on the website of the company, stock exchanges and NSDL.

Final Dividend and Record Date:

The Board of Directors at its meeting held on 28th May, 2026 has recommended a final dividend of Re. 1.00/- per equity share of the face value of Rs. 10/- each, for the financial year ended 31st March 2026. The record date for the purpose of final dividend is **Monday 14th September, 2026**. The final dividend, once approved by the members at the AGM, will be paid subject to deduction of tax at source ('TDS'), within thirty (30) days to the members whose name appear in the register of members/list of as beneficial owner as on the record date through electronic mode.

We hereby state that:

a) remote e-voting shall not be allowed beyond **Friday, 25th September 2026** at 5:00 P.M.
b) the facility for e-voting to the members, who would not vote through remote e-voting, shall be available at the AGM.
c) a member may participate in the AGM even after exercising his/her right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again at the AGM through e-voting during the AGM.
d) a person, whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as e-voting at the AGM and the voting rights of the members shall be in proportion to their shares of the paid up equity share capital of the company as on the cut-off date.
e) any person, who acquires shares of the company and becomes a member of the company after sending of the notice and holding shares as on the cut-off date, may obtain the login ID and password by sending a request at 'evoting@nsdl.co.in'. However, if he/she is already registered with NSDL for remote e-voting then he/she can use his/her existing user ID and password for casting the vote.

The company has appointed Mr. Manoj Gupta, Practicing Company Secretary (FCS: 6102), to act as the Scrutinizer, to scrutinize the e-Voting process in a fair and transparent manner.

Members are also requested to refer frequently asked questions ('FAQ') for shareholders and e-voting user manual for shareholders available at the downloads section of NSDL at www.evoting.nsdl.com.

In case of any query or issue regarding attending the AGM through VC/OAVM or e-Voting, please contact to Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager, NSDL, at evoting@nsdl.co.in/ 022 - 48867000 or to the RTA of the company, Mr. Ravindra Dua, Manager, RCMC Share Registry Pt. Ltd at rdua@rcmcdelhi.com/ 011-35020465,35020466.

For **Haryana Leather Chemicals Ltd.**
Yugank
Company Secretary & Compliance Officer
ACS : 70463

Date : 02nd September, 2026
Place : Gurugram, Haryana

मीडिया मैट्रिक्स वर्ल्डवाइड लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : प्लॉट नं. 38, चौथी मंजिल, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर 32, गुरुग्राम-122001, हरियाणा, भारत
दूरभाष : +91-124-4310000, **फैक्स** : +91-124-4310050, **वेबसाइट** : www.mmwlindia.com,
ईमेल : mmwl.corporate@gmail.com **कॉर्पोरेट पहचान संख्या : L32100HR1985PLC144515**

41वीं वार्षिक आम बैठक के संबंध में सूचनागत जानकारी

मीडिया मैट्रिक्स वर्ल्डवाइड लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों की 41वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") 41वीं एजीएम की सूचना में उल्लिखित व्यवसायों के संपादन हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी') / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ('ओएवीएम') के माध्यम से बुधवार, 30 सितंबर, 2026 को पूर्वाह्न 11:00 बजे (भारतीय मानक समय) आयोजित की जानी निर्धारित है।

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने क्रमशः 08 अप्रैल 2020, 13 अप्रैल 2020, 05 मई 2020, 13 जनवरी 2021, 08 दिसंबर 2021, 14 दिसंबर 2021, 05 मई 2022, 28 दिसंबर 2022, 25 सितंबर 2023, 19 सितंबर 2024 तथा 22 सितंबर 2025 की अपनी सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 19/2021, 21/2021, 02/2022, 10/2022, 09/2023, 09/2024 तथा 03/2025 ("एमसीए परिपत्र"), जिन्हें भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ("सेबी") द्वारा जारी लागू परिपत्रों के साथ पठित किया जाए, (जिन्हें इसके बाद सामूहिक रूप से "परिपत्र" कहा गया है), के माध्यम से सदस्यों की एक सामान्य स्थान पर भौतिक उपस्थिति के बिना वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम आयोजित करने की अनुमति दी है। इसके अतिरिक्त, पूर्वोक्त एमसीए परिपत्रों तथा सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ("सेबी सूचीबद्धता विनियम") के लागू प्रावधानों के अनुपालन में, उन शेयरधारकों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 136 में यथा निर्धारित सभी दस्तावेजों की भौतिक प्रतियां भेजने से छूट प्रदान की गई है जिन्होंने अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं कराए हैं। तदनुसार, सेबी सूचीबद्धता विनियम के नियम 36(1)(बी) के अनुसार उन शेयरधारकों को संपूर्ण वार्षिक रिपोर्ट तक पहुंचने के लिए वेब लिंक (सटीक पथ सहित) युक्त एक पत्र भेजा जा रहा है जिन्होंने कंपनी, उसके रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट ("आरटीए"), या अपने संबंधित डिपोजिटरी प्रतिभागियों के पास अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं कराए हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम"), सेबी सूचीबद्धता विनियम तथा परिपत्रों के प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी की 41वीं एजीएम, वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है तथा सदस्य वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आगामी एजीएम में भाग ले सकते हैं तथा सम्मिलित हो सकते हैं।

कंपनी ने नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") द्वारा प्रदान की गई वीसी / ओएवीएम सुविधा के माध्यम से सदस्यों को 41वीं एजीएम में भाग लेने की सुविधा प्रदान की है।

परिपत्रों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ 41वीं एजीएम की सूचना केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उन सदस्यों को भेजी जाएगी जिनके ईमेल पते कंपनी/आरटीए/डिपोजिटरी/डिपोजिटरी प्रतिभागियों के पास पंजीकृत हैं। सदस्यगण ध्यान दे सकते हैं कि वार्षिक रिपोर्ट के साथ 41वीं एजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.mmwlindia.com, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट अर्थात् बीएसई लिमिटेड की www.bseindia.com तथा एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध होगी।

कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 20, सेबी सूचीबद्धता विनियमावली के विनियम 44 तथा सामान्य बैठकों पर सचिवालीय मानक ("एसएस-2") के साथ पठित अधिनियम की धारा 108 के अनुसरण में, कंपनी अपने सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली ("दूरस्थ ई-मतदान तथा एजीएम के दौरान ई-मतदान") का उपयोग करके 41वीं एजीएम की सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर अपने वोट डालने की सुविधा प्रदान करते हुए प्रसन्न है तथा इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली के माध्यम से मतदान को सुगम बनाने हेतु एनएसडीएल की सेवाएं ली हैं। दूरस्थ ई-मतदान/ई-मतदान की विस्तृत प्रक्रिया 41वीं एजीएम की सूचना में प्रदान की जा रही है।

सेबी के परिपत्र संख्या एचओ/38/13/(4)2026-एमआईआरएसडी-पीओडी/आई/4298/2026 तिथि 06 फरवरी, 2026 तथा सेबी द्वारा जारी अन्य पूर्व परिपत्रों के अनुपालन में, भौतिक रूप में शेयर धारक ऐसे शेयरधारक जिनके फोलियो में स्थायी खाता संख्या ("पैन"), संपर्क विवरण, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण, नमूना हस्ताक्षर अद्यतन नहीं हैं, वे ऐसे फोलियो के संबंध में लाभांश के भुगतान हेतु, कंपनी के आरटीए एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (जिसे पहले लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) को पूर्ण रूप से पूर्वोक्त सभी विवरण प्रस्तुत करने पर केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पात्र होंगे। इसके अतिरिक्त, सेबी ने अपने पूर्वोक्त परिपत्र के माध्यम से, सभी मौजूदा निवेशकों को उनके अपने हित में, प्रतिभूतियों के सुगम अंतरण को सुनिश्चित करने तथा प्रतिभूति बाजार में लावारिस परिसंपत्तियों के संचय को रोकने में मदद करने हेतु 'नामांकन का विकल्प' प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया है।

भौतिक रूप में शेयर धारक ऐसे सदस्य जिन्होंने कंपनी के पास अपने पैन तथा केवाईसी विवरण पंजीकृत/अद्यतन/पूर्ण नहीं किए हैं, वे कृपया mmwl.corporate@gmail.com पर ईमेल द्वारा कंपनी के सचिवालीय विभाग से या rnt.helpdesk@linkintime.co.in पर कंपनी के आरटीए से संपर्क/पत्राचार करके इसे पंजीकृत/अद्यतन/पूर्ण कर सकते हैं।

डीमैट रूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारक अपने पैन तथा केवाईसी विवरण पंजीकृत/अद्यतन/पूर्ण करने हेतु अपने डिपोजिटरी प्रतिभागियों से संपर्क/पत्राचार कर सकते हैं।

बोर्ड के आदेशानुसार
कृते मीडिया मैट्रिक्स वर्ल्डवाइड लिमिटेड
हस्ता./-
(मोह. सगिर)
कंपनी सचिव

स्थान : गुरुग्राम
तिथि : 02 सितंबर, 2026

आइकन फैसिलिटेटर्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः सी-28, द्वितीय तल, सामुदायिक केंद्र, जनकपुरी, नई दिल्ली, भारत, 110058, फोनः 011-42603176;
ईमेलः iconfacilities@gmail.com; वेबसाइटः www.iconf.in; सीआईएनः L93000DL2013PLC258273

13वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना एवं वोटिंग संबंधी सूचना

एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि आइकन फैसिलिटेटर्स लिमिटेड ("कंपनी") की 13वीं वार्षिक आम बैठक (जिसे आगे "एजीएम" कहा गया है) सोमवार, 28 सितंबर 2026 को अपराह्न 03:30 बजे (भा.मा.स.) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यम ('ओएवीएम') के माध्यम से, एजीएम में सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, एजीएम सूचना दिनांक 24 अगस्त 2026 में उल्लिखित व्यवसाय के निपटान हेतु आयोजित की जाएगी।

सामान्य परिपत्र संख्या 03/2025 दिनांक 22 सितंबर 2025 तथा कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए परिपत्र") द्वारा जारी अन्य प्रासंगिक परिपत्रों के अनुसरण में, कंपनियों को एक सामान्य स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, अपने एजीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यम (वीसी/ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित करने की अनुमति है। एमसीए परिपत्रों तथा कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी के सदस्यों की एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

कंपनी ने 13वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए वार्षिक वित्तीय विवरणों सहित वार्षिक रिपोर्ट, उन शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेज दी है, जिनके ई-मेल पते कंपनी/रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट या डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत हैं। एजीएम की सूचना तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए वार्षिक रिपोर्ट की प्रति कंपनी की वेबसाइट www.iconf.in, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट, अर्थात बीएसई लिमिटेड की www.bseindia.com, तथा सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ("सीडीएसएल") की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है। यदि शेयरधारक अनुरोध करें, तो वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति उन्हें भेज दी जाएगी। ई-मेल के माध्यम से एजीएम की सूचना का प्रेषण बुधवार, 02 सितंबर 2026 को पूर्ण हो गया है।

सदस्यों को सीडीएसएल द्वारा प्रदान किए गए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की सुविधा प्रदान की गई है। सदस्यों से अनुरोध है कि वे www.evotingindia.com पर जाएँ और उन्हें प्रदान किए गए रिमोट ई-वोटिंग क्रेडेंशियल का उपयोग करके शेयरधारकों/सदस्यों के लॉगिन तक पहुँच प्राप्त करें।

रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम में ई-वोटिंग के लिए निदेशः

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 ("अधिनियम") के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20, यथासंशोधित, तथा सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 ("सूचीकरण विनियम") के विनियम 44 के अनुसरण में, सदस्यों को एजीएम की सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक वोट प्रणाली ("रिमोट ई-वोटिंग") के माध्यम से अपने वोट डालने की सुविधा सीडीएसएल द्वारा प्रदान की गई है। भौतिक रूप में या डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्य, सोमवार, 21 सितंबर, 2026 ("कट-ऑफ तिथि") तक, www.evotinoindia.com के माध्यम से सीडीएसएल की रिमोट ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करके अपने वोट डाल सकते हैं। जिस व्यक्ति का नाम कट-ऑफ तिथि के अनुसार सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरीज द्वारा संधारित लाभार्थी स्वामी के रजिस्टर में दर्ज है, वही रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का अधिकारी होगा। सदस्यों के वोट अधिकार कट-ऑफ तिथि के अनुसार कंपनी की कुल वोट पूंजी में उनके शेयरों के चुकता मूल्य के अनुपात में होंगे।
2. रिमोट ई-वोटिंग की अवधि शुक्रवार, 25 सितंबर, 2026 को प्रातः 9:00 बजे (भा.मा.स.) से प्रारंभ होगी और रविवार, 27 सितंबर, 2026 को सायं 5:00 बजे (भा.मा.स.) समाप्त होगी। इसके पश्चात सीडीएसएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल निष्क्रिय कर दिया जाएगा। एक बार सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर वोट डाल दिए जाने के बाद, सदस्य उसे बाद में संशोधित नहीं कर सकेगा।
3. वोट की प्रक्रिया से संबंधित जानकारी और निर्देश, जिनमें डिमैटेरियलाइज्ड रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए रिमोट ई-वोटिंग, भौतिक माध्यम तथा जिन सदस्यों ने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, उनके लिए भी व्यवस्था शामिल है, एजीएम की सूचना में तथा सीडीएसएल द्वारा सदस्यों को भेजे गए ईमेल में प्रदान की गई है।
   जिन सदस्यों ने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वार्षिक रिपोर्ट भेजे जाने के बाद लेकिन कट-ऑफ तिथि से पहले शेयर अर्जित किए हैं, वे कंपनी को cs@iconf.in पर या सीडीएसएल को helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं।
4. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होने वाले वे सदस्य, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है, एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डालने के पात्र होंगे। जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट किया है, वे वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होने के पात्र होंगे; तथापि, वे एजीएम में ई-वोटिंग के लिए पात्र नहीं होंगे।
5. एजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.iconf.in पर भी उपलब्ध है। कृपया सीडीएसएल की वेबसाइट अर्थात www.evotingindia.com के डाउनलोड्स अनुभाग में उपलब्ध सदस्यों के लिए 'ई-वोटिंग यूजर मैनुअल' देखें। ई-वोटिंग से संबंधित किसी भी प्रश्न/शिकायत के लिए, कोई भी सदस्य www.evotingindia.com पर श्री राकेश दलवी से संपर्क कर सकता है या 022-48867000 तथा 022-24997000 पर कॉल कर सकता है।
6. ईमेल पता पंजीकृत/अद्यतन करने की प्रक्रियाः ईमेल पतों के स्थायी पंजीकरण/अद्यतन के लिए, सदस्य संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ अनुरोध भेज सकते हैं, क्योंकि कंपनी के सभी शेयरधारक अपने शेयर डिमैट रूप में धारण कर रहे हैं।

इसके अतिरिक्त, शेयरधारकों से यह भी अनुरोध है कि एजीएम में सम्मिलित होने तथा वोट करने की प्रक्रिया आदि के बारे में अधिक विवरण के लिए एजीएम सूचना में दिए गए नोट्स को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

कृते आइकॉन फैसिलिटेटर्स लिमिटेड
हस्ता./-
पूजा
कंपनी सचिव

तिथिः 03.09.2026
स्थानः नई दिल्ली

एचएफसीएल लिमिटेड

CIN: L64200HR1987PLC148689
पंजीकृत कार्यालय : प्लॉट नं. 38, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर 32, गुरुग्राम - 122 001 (हरियाणा)
वेबसाइट : www.hfcl.com, **ईमेलः** secretarial@hfcl.com, **दूरभाषः** 91-124-4310000,
फैक्स नं.: +91-124-4310050

39वीं वार्षिक आम बैठक के संबंध में जानकारी

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है किः

(ए) एचएफसीएल लिमिटेड("कंपनी") की 39वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") मंगलवार, 29 सितंबर, 2026 को प्रातः 11:00 बजे (भा.मा.स.) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम ("ओएवीएम") सुविधा के माध्यम से 39वीं एजीएम की सूचना में उल्लिखित कार्यों को संपन्न करने के लिए आयोजित की जानी निर्धारित है।

(बी) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने अपने सामान्य परिपत्र क्रमांक 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 19/2021, 21/2021, 02/2022, 10/2022, 09/2023, 09/2024 और 03/2025 दिनांक 08 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 05 मई, 2020, 13 जनवरी, 2021, 08 दिसंबर, 2021, 14 दिसंबर, 2021, 05 मई, 2022, 28 दिसंबर, 2022, 25 सितंबर, 2023, 19 सितंबर, 2024 और 22 सितंबर, 2025 ("एमसीए परिपत्र") क्रमशः, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ("सेबी") द्वारा जारी लागू परिपत्रों के साथ पठित, (इसके बाद सामूहिक रूप से "परिपत्र' कहा जाएगा) सदस्यों की किसी सामान्य स्थल पर भौतिक उपस्थिति के बिना वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम आयोजित करने की अनुमति दी है। इसके अलावा, उपर्युक्त एमसीए परिपत्रों और सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ("सेबी लिस्टिंग विनियम") के लागू प्रावधानों के अनुपालन में, उन शेयरधारकों को, जिन्होंने अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 136 के तहत निर्धारित सभी दस्तावेजों की हार्ड कॉपी भेजने से छूट प्रदान की गई है। तदनुसार, सेबी लिस्टिंग नियम के विनियम 36(1)(इ) के अनुसार, उन शेयरधारकों को, जिन्होंने कंपनी, उसके रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट ("आरटीए"), या अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, पूर्ण वार्षिक रिपोर्ट तक पहुंचने के लिए वेब लिंक (सटीक पथ सहित) वाला एक पत्र भेजा जा रहा है।

(सी) कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम"),सेबी लिस्टिंग विनियमों और परिपत्रों के प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी की 39वीं एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है और सदस्य वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आगामी एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं और भाग ले सकते हैं।

(डी) कंपनी ने सदस्यों को नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") द्वारा प्रदान की गई वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से 39वीं एजीएम में भाग लेने की सुविधा प्रदान की है।

(ई) परिपत्रों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 39वीं एजीएम की सूचना वार्षिक रिपोर्ट के साथ केवल उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी जाएगी, जिनके ई-मेल पते कंपनी/आरटीए/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास पंजीकृत हैं। सदस्य ध्यान दें कि 39वीं एजीएम की सूचना वार्षिक रिपोर्ट के साथ कंपनी की वेबसाइट www.hfcl.com, स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात् बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com तथा एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध होगी।

(एफ) अधिनियम की धारा 108 को कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20,सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियम 44 और सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानक ("एसएस-2") के साथ पढ़े जाने पर, कंपनी अपने सदस्यों को 39वीं एजीएम की सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली ("रिमोट ई-वोटिंब और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग ") का उपयोग करके अपने मत डालने की सुविधा प्रदान करते हुए प्रसन्न है और उसने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान की सुविधा प्रदान करने के लिए एनएसडीएल की सेवाएं ली हैं। रिमोट ई-वोटिंग/ई-वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया 39वीं एजीएम की सूचना में प्रदान की जा रही है।

(जी) सेबी के मास्टर सर्कुलर संख्या HO/38/13/(4)2026-MIRSD-POD/1/4298/2026 दिनांक 06 फरवरी, 2026 के अनुसार, भौतिक रूप में शेयर रखने वाले वे शेयरधारक जिनके फोलियो(ओं) में स्थायी खाता संख्या ("पैन"), संपर्क विवरण, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण, नमूना हस्ताक्षर अपडेट नहीं हैं, ऐसे फोलियो(ओं) के संबंध में लाभांश के भुगतान के लिए तभी पात्र होंगे जब वे उपर्युक्त सभी विवरण पूर्ण रूप से कंपनी के आरटीए, एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड को उपलब्ध करा दें। इसके अलावा, सेबी ने अपने उपर्युक्त सर्कुलर के माध्यम से सभी मौजूदा निवेशकों को अपने हित में 'नामांकन का विकल्प' प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया है, ताकि प्रतिभूतियों के सुचारु हस्तांतरण को सुनिश्चित किया जा सके और प्रतिभूति बाजार में दावा न किए गए परिसंपत्तियों के संचय को रोकने में सहायता मिल सके।

लाभांश समय पर प्राप्त करने के लिए, सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने बैंक का पूरा विवरण पंजीकृत/अपडेट करें:

- अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट(ों) के पास, जिनके साथ उनके डीमैट खाते हैं, यदि शेयर डीमैटेरियलाइज्ड मोड में रखे गए हैं, तो अपेक्षित दस्तावेज जमा करके, और
- आरटीए के पास, यदि शेयर भौतिक मोड में रखे गए हैं, तो विधिवत भरा हुआ फार्म आईएसआर-1, साथ में (i) हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की स्कैन की गई प्रति, जिसमें शेयरधारक का नाम, फोलियो नंबर, बैंक विवरण (बैंक खाता संख्या, बैंक और शाखा का नाम और पता, आईएफएससी, एमआईसीआर विवरण), (ii) पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति और (iii) रद्द किया हुआ चेक पत्ता शामिल हो, जमा करके।

भौतिक रूप में शेयर रखने वाले और जिन्होंने कंपनी के साथ अपने ई-मेल पते पंजीकृत/अपडेट नहीं किए हैं, वे कृपया कंपनी के सचिवीय विभाग से secretarial@hfcl.com पर ई-मेल द्वारा संपर्क/लिखकर या कंपनी के आरटीए से admin@mcsregistrars.com पर संपर्क/लिखकर इसे पंजीकृत/अपडेट कर सकते हैं। डीमैटेरियलाइज्ड रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक अपना ई-मेल पता पंजीकृत/अपडेट करने के लिए अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों से संपर्क/लिख सकते हैं।

एचएफसीएल लिमिटेड की ओर से
हस्ता/-
(मनोज बैद)
अध्यक्ष एवं कंपनी सचिव

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 02 सितंबर, 2026

शाकुंभरी पल्प एंड पेपर मिल्स लिमिटेड

CIN: L21012UP1986PLC007671
पंजीकृत कार्यालयः 4.5 किमी, भोपा रोड, मुज़फ़्फ़रनगर, उत्तर प्रदेश- 251001
फ़ोन नंबरः 7895512368 | **ईमेलः** shakumbhripaper@gmail.com | **वेबसाइटः** www.shakumbhripulp.com

वार्षिक आम बैठक की सूचना, बुक क्लोजर और ई-वोटिंग की जानकारी

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी के शेयरधारकों की 38वीं वार्षिक आम बैठक मंगलवार, 29 सितंबर, 2026 को प्रातः 11:30 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय, 4.5 किलोमीटर, भोपा रोड, मुज़फ़्फ़रनगर, उत्तर प्रदेश- 251001 में आयोजित की जाएगी, इस बैठक में उक्त सूचना में उल्लिखित कार्य निष्पादित किए जाएँगे, यह सूचना शेयरधारकों को व्यक्तिगत रूप से ई-मेल के माध्यम से पहले ही भेजी जा चुकी है, यदि उनका ई-मेल पता डिपॉजिटरी/रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट के पास पंजीकृत है। इसके अतिरिक्त, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकता), विनियम, 2015 के संशोधित विनियम 36 के अनुसार, जिन सदस्यों ने अपनी ई-मेल आईडी पंजीकृत नहीं कराई है, उन्हें वार्षिक आम बैठक की सूचना के साथ-साथ वित्तीय वर्ष 25-26 की वार्षिक रिपोर्ट देखने के लिए एक वेब-लिंक प्रदान करने वाला एक पत्र भी भेजा जा रहा है। 38वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना कंपनी की वेबसाइट https://shakumbhripulp.com/files/notices, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.msei.in और www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है। एजीएम की सूचना भेजने का कार्य 01 सितंबर, 2026 को पूरा हो चुका है।

कंपनी अपने सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान करने की सुविधा प्रदान कर रही है और कंपनी सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सेवाओं के माध्यम से अपना कारोबार चला सकती है। ई-वोटिंग सुविधा www.evotingindia.com लिंक पर उपलब्ध होगी। ई-वोटिंग अवधि शनिवार, 26 सितंबर, 2026 को सुबह 10:00 बजे शुरू होगी और सोमवार, 28 सितंबर, 2026 को शाम 5:00 बजे (दोनों दिन सम्मिलित) समाप्त होगी। शेयरधारक द्वारा किसी प्रस्ताव पर एक बार मतदान कर दिए जाने के बाद, उसे बाद में बदलने की अनुमति नहीं होगी। ई-वोटिंग के लिए कट-ऑफ तिथि मंगलवार, 22 सितंबर, 2026 होगी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग संबंधी निर्देशों के लिए, शेयरधारक कंपनी की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना में दिए गए निर्देशों को देख सकते हैं।

जो व्यक्ति नोटिस भेजने के बाद शेयर प्राप्त करते हैं और कंपनी के सदस्य बनते हैं और जो कट-ऑफ तिथि यानी मंगलवार, 22 सितंबर, 2026 तक पात्र शेयरधारक हैं, वे लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए श्री रवि से (011-40450193) या investors@skylinerta.com पर संपर्क कर सकते हैं। 28 सितंबर, 2026 को शाम 5 बजे के बाद इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं होगी। कोई भी सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद भी आम बैठक में भाग ले सकता है, लेकिन उसे बैठक में दोबारा मतदान करने की अनुमति नहीं होगी। वार्षिक आम बैठक के दौरान भी मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और वार्षिक आम बैठक में उपस्थित वे सदस्य, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना मतदान नहीं किया है, वार्षिक आम बैठक में मतपत्र के माध्यम से मतदान करने के पात्र होंगे। केवल वही व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि तक सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा।

भौतिक रूप में या अभौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों तथा कंपनी के साथ अपने ईमेल पते अद्यतन न करने वाले सदस्यों के लिए एजीएम में रिमोट ई-वोटिंग का तरीका एजीएम की सूचना में दिया गया है।

एजीएम में भाग लेने और ई-वोटिंग से संबंधित किसी भी प्रश्न/शिकायत के मामले में, आप श्री रवि, स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड से investors@skylinerta.com पर या श्री राकेश दलवी, वरिष्ठ प्रबंधक, (सीडीएसएल), सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25वीं मंजिल, मैराथन फ्यूचरएक्स, मफतलाल मिल कंपाउंड्स, एन एम जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुंबई - 400013 पर संपर्क कर सकते हैं या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल भेज सकते हैं या 022-23058542/43 पर कॉल कर सकते हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 10 के साथ भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 42 के अनुसरण में यह भी सूचित किया जाता है कि कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर हस्तांतरण पुस्तकें कंपनी की 38वीं वार्षिक आम बैठक के लिए बुधवार, 23 सितंबर, 2026 से मंगलवार, 29 सितंबर, 2026 (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहेंगी।

इसके अलावा, सेबी परिपत्र संख्या HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-POD/ /3750/2026 दिनांक 30 जनवरी, 2026 के अनुसरण में, सभी शेयरधारकों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि भौतिक प्रतिभूतियों, जो 1 अप्रैल, 2019 से पहले बेची/खरीदी गई थीं, के हस्तांतरण और डीमैटेरियलाइजेशन की सुविधा प्रदान करने के लिए 5 फरवरी, 2026 से 4 फरवरी, 2027 तक एक वर्ष की अवधि के लिए एक विशेष विंडो खोली गई है। अधिक जानकारी के लिए, निवेशक सेबी परिपत्र देख सकते हैं, जो कंपनी की वेबसाइट https://shakumbhripulp.com// पर भी उपलब्ध है।

बोर्ड के आदेशानुसार
कृते, शाकुंभरी पल्प एंड पेपर मिल्स लिमिटेड
हस्ता./-
(आयुषी गुप्ता)
कंपनी सचिव

दिनांकः 02.09.2026
स्थानः मुज़फ़्फ़रनगर

मोरपेन लेबोरेटरीज लिमिटेड

CIN: L24231HP1984PLC006028
पंजीकृत कार्यालय : मोरपेन विलेज, मल्कुमाजरा, नालागढ़ रोड, बद्दी, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश - 173 205, भारत
टेलीफोन सं.: +91 1795 266401-03, 244590, **फैक्स** : +91 1795 244591
निगमित कार्यालयः द्वितीय तल, टावर सी, डीएलएफ साइबर पार्क, उद्योग विहार-III, सेक्टर 20, गुरुग्राम, हरियाणा-122016, भारत
टेलीफोन सं.: +91 124 4892000, **ई-मेल** : investors@morepen.com , **वेबसाइट** : www.morepen.com

41वां वार्षिक आम बैठक, ई-वोटिंग जानकारी और बुक क्लोजर की सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 तथा उसके तहत बनाए गए नियमों ("अधिनियम") और भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015, यथासंशोधित, ("सूचीबद्धता विनियम") के लागू प्रावधानों के साथ पठित कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय और भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड ("सेबी") द्वारा जारी लागू परिपत्रों के अनुपालन में एजीएम आयोजन की सूचना दिनांक 04 अगस्त, 2026 में निर्धारित साधारण और विशेष कामकाज के निष्पादन के लिए **मोरपेन लेबोरेटरीज लिमिटेड** ("कंपनी") के सदस्यों की **41वां वार्षिक आम बैठक** ("एजीएम") **शनिवार, 26 सितंबर 2026** को **दोपहर 1:00 बजे** वीडियो कॉन्फ्रेंस/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ("वीसी"/"ओएवीएम") के द्वारा आयोजित की जाएगी।

एजीएम की सूचनाः वित्तीय वर्ष 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ सूचना इलेक्ट्रॉनिक मोड में उन सदस्यों को भेज दी गई है जिनकी ई-मेल आईडी कंपनी/रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट ("आरटीए")/डिपॉजिटरीज के पास पंजीकृत हैं और सूचीबद्धता विनियम के विनियम 36(1)(बी) के अनुपालन में वेबलिंक, वित्तीय वर्ष 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट एक्सेस करने का सही मार्ग और उसका क्यूआर कोड युक्त एक पत्र बुधवार, 02 सितंबर 2026 को उन सदस्यों को भेज दिया गया है जिन्होंने अपनी ई-मेल आईडी कंपनी/आरटीए या डिपॉजिटरीज, जैसा भी मामला हो, के पास पंजीकृत नहीं कराई है। इसके अलावा, वार्षिक रिपोर्ट के साथ सूचना की हार्ड कॉपी उन सदस्यों को भेजी जा रही है जिन्होंने इसके लिए अनुरोध किया है।

वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.morepen.com, स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट अर्थात् बीएसई लिमिटेड, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com, www.nseindia.com और www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।

बुक क्लोजर अवधिः अधिनियम की धारा 91 के अनुसार यह भी सूचित किया जाता है कि कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक एजीएम के उद्देश्य से **रविवार, 20 सितंबर 2026 से शनिवार, 26 सितंबर 2026** तक (दोनों दिन शामिल) बंद रहेंगे।

वोटिंगः अधिनियम की धारा 108 के साथ पठित सूचीबद्धता विनियम के विनियम 44 और उसके अंतर्गत बनाए गए प्रासंगिक नियमों के अनुसार कंपनी सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम में ई-वोटिंग द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग करने में सुविधा प्रदान करने के लिए एनएसडीएल की सेवाओं का लाभ उठा रही है। रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम में ई-वोटिंग में भाग लेने की विस्तृत प्रक्रिया बैठक की सूचना में उपलब्ध है। कंपनी के वे सदस्य जिनके पास **शनिवार, 19 सितंबर 2026** (कट-ऑफ तिथि) तक फिजिकल या डिमैटेरियलाइज्ड प्रारूप में शेयर हैं, केवल वे ही रिमोट ई-वोटिंग/एजीएम में ई-वोटिंग, जैसा भी मामला हो, द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। कंपनी उन लोगों के लिए एजीएम के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोटिंग की सुविधा भी प्रदान कर रही है जो रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट नहीं डालते हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम (गणपूर्ति) के उद्देश्य से उपस्थित माना जाएगा।

रिमोट ई-वोटिंग अवधि **बुधवार, 23 सितंबर 2026** को **प्रातः 9:00 बजे** प्रारंभ होगी और **शुक्रवार, 25 सितंबर 2026** को **शाम 5:00 बजे** समाप्त होगी। मतदान के परिणाम संबंधित नियमों, सूचीबद्धता विनियमों के अनुसार घोषित किए जाएँगे और कंपनी, स्टॉक एक्सचेंजों और एनएसडीएल की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किए जाएँगे।

अंतिम लाभांश और रिकॉर्ड तिथिः

निदेशक मंडल ने 26 मई, 2026 को आयोजित अपनी बैठक में 31 मार्च 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक रु. 2/- अंकित मूल्य के रु. 0.20/- प्रति इक्विटी शेयर अंतिम लाभांश देने की सिफारिश की है। अंतिम लाभांश के लिए रिकॉर्ड तिथि **शनिवार, 19 सितंबर, 2026** है। एजीएम में सदस्यों द्वारा अनुमोदित होने के बाद अंतिम लाभांश का भुगतान स्रोत पर कर कटौती ('टीडीएस') के अधीन तीस (30) दिनों के भीतर उन सदस्यों को किया जाएगा जिनका नाम रिकॉर्ड तिथि को सदस्यों के रजिस्टर/लाभार्थी स्वामी के रूप में सूची में दर्ज है। सदस्यों से अनुरोध है कि वे लागू होने के अनुसार, कंपनी/उसके आरटीए/डिपॉजिटरी के पास अपने केवाईसी (KYC) और बैंक संबंधी विवरण अद्यतन करें। इसके अलावा, कर संबंधी जानकारी के लिए कृपया समाचार पत्र फाइनेंशियल एक्सप्रेस (अंग्रेजी) और जनसत्ता (हिंदी) में प्रकाशित हमारे विज्ञापन दिनांक 26 अगस्त, 2026 और एजीएम की सूचना देखें।

हम एतद्द्वारा घोषणा करते हैं किः

क) **शुक्रवार, 25 सितंबर 2026, सायं 5:00 बजे** के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं होगी।

ख) जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान नहीं किया है उन्हें एजीएम में ई-वोटिंग की सुविधा उपलब्ध होगी।

ग) कोई सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान के अपने अधिकार का प्रयोग करने के बाद भी एजीएम में भाग ले सकता है लेकिन उसे एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से पुनः मतदान करने की अनुमति नहीं होगी।

घ) कोई व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि शनिवार, 19 सितंबर 2026 तक सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरीज द्वारा बनाए गए लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है केवल वही रिमोट ई-वोटिंग के साथ ही एजीएम में ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा और सदस्यों का वोटिंग अधिकार कट-ऑफ तिथि तक कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके शेयरों के अनुपात में होगा।

ङ) कोई भी व्यक्ति जो कंपनी के शेयर अधिग्रहित करता है और सूचना भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तिथि तक शेयर धारण करता है वह 'evoting@nsdl.com' पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालांकि, यदि वह रिमोट ई-वोटिंग के लिए पहले से ही एनएसडीएल में पंजीकृत है तो वह वोट डालने के लिए अपनी मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकता है।

कंपनी ने ई-वोटिंग प्रक्रिया की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जाँच करने के लिए श्री प्रवीण दुआ, पेशेवर कंपनी सचिव (एफसीएसः 3573, सीपीः 2139) को जांचकर्ता नियुक्त किया है।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे www.evoting.nsdl.com पर एनएसडीएल के डाउनलोड सेक्शन पर उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न ('एफएक्यू') और ई-वोटिंग यूजर मैनुअल को देखें।

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने या ई-वोटिंग के संबंध में किसी भी प्रश्न या समस्या के मामले में कृपया सुश्री पल्लवी म्हात्रे, वरिष्ठ प्रबंधक, एनएसडीएल, चौथी मंजिल, 'ए' विंग, ट्रेड वर्ल्ड, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई, महाराष्ट्र -400 013, ईमेल evoting@nsdl.co.in से संपर्क करें; 022-48867000 पर कॉल करें या कंपनी के आरटीए, श्री दीपांशु रस्तोगी, सहायक प्रबंधक, एमएएस सर्विसेज लिमिटेड, टी-34, द्वितीय तल, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट फेज 2, नई दिल्ली-110020, ई-मेलः investor@masserv.com पर संपर्क करें या 011-26387281/82/83, 011-41320335 पर कॉल करें।

मोरपेन लेबोरेटरीज लिमिटेड के लिए
हस्ता./-
सुशील सूरी
(अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक)
डीआईएनः 00012028

दिनांकः 02 सितंबर, 2026
स्थानः गुरुग्राम, हरियाणा